भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की अनुमति और निर्वाचन व्यय के लेखों में व्यय उपगत कराना-तत्संबंधी।**

महोदया/महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2007 के पत्र सं. 437/6/2007-पीएलएन-III (खण्ड-III) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि, निर्वाचनों के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रचार अभियान के उद्देश्य से वाहनों का उपयोग करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है। आयोग के ध्यान में यह आया है कि कुछ अभ्यर्थी प्रचार-अभियान में उपयोग के लिए वाहनों की अनुमति लेते हैं और भाड़े पर लिए गए/चलाए गए वाहनों पर उपगत व्यय को अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे वाहन निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्राय: अन्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं।

2. इसलिए, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यदि अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात दो दिन से अधिक की समयावधि के लिए प्रचार-अभियान में लगाए गए वाहन(नों) को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो, वे ऐसे वाहनों के लिए अनुमति वापस लेने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे। यदि, अभ्यर्थी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रचार अभियान में लगाए गए ऐसे वाहनों की अनुमति को वापस लेने हेतु सूचित नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने प्रचार-अभियान के उद्देश्य के लिए अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रयोग किया है और तद्नुसार, ऐसे वाहनों के प्रयोग के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार यह व्यय उनके निर्वाचन व्यय के लेखों में जोड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय का लेखांकन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे सभी वाहनों और अनुमति वापस लेने सम्बन्धी अनुरोधों का विवरण लेखांकन दल को दिया जाएगा।

3. इसे सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों, संबंधित अधिकारियों और व्यय प्रेक्षकों के ध्यान में लाया जाए।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(एस. के. रूडोला)
सचिव